


गई तो उन्हें किस प्रकार अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दू भी सायल के विरुद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनिष्कर्ष अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण सायल/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।


-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र सायल/वादी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सायलान के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



  
सहायक कलक्टर  
(फॉरेस्ट ट्रेक), जैतारण  
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर  
(फॉरेस्ट ट्रेक), जैतारण  
जिला-ब्यावर (राज0)